न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 66/18 **निर्णय दिनांकः 12.04.2019**

1. पूर्ण सिंह पुत्र हुक्मसिंह जाति राजपूत निवासी काकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र हुक्मसिंह जाति राजपूत निवासी काकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणनसर

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15—07—2016
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजय कुमार ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 15—07—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादगत् भूमि मौजा रोही कांकड़वाला के खसरा नम्बर 53/7 में तादादी 40 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी/अपीलांट के नाम दर्ज व कब्जे

काश्त की भूमि रही है। तथा खसरा नम्बर 53/2 व 53/7/1 में 41 बीघा भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि अर्थात खसरा नम्बर 53/7 के किलें जमाबन्दी में दर्ज करने थे परन्तु राजस्व अमला ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त इन्द्राज अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार नहीं किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत करते हुए किया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का अपीलांट अधिकारी है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त आश्य के साथ चिरस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि मौजा रोही कांकड़वाला के खसरा नम्बर 53/7 में तादादी 40 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी/अपीलांट के नाम दर्ज व कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा खसरा नम्बर 53/2 व 53/7/1 में 41 बीघा भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि अर्थात खसरा नम्बर 53/7 के किलें जमाबन्दी में दर्ज करने थे परन्तु राजस्व अमला ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई।

उन्होनें आगे बताया कि वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी/अपीलांट के नाम खसरा नम्बर 53/7 की 40 बीघा भूमि जिसके चकबन्दी आने पर चक 11—12 एमजीडी के मुरब्बा नम्बर 224/17 के किला नम्बर 14 ता 18, 23, 24 की 7 बीघा व मुरब्बा नम्बर 224/25 के किला नम्बर 9 ता 12, 19 ता 2 की 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 224/18 के किला नम्बर 3 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 की 13 बीघा, मुरब्बा नम्बर 224/26 के किला नम्बर 1, 10, 11, 18 ता 22 की 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 224/19 के

किला नम्बर 4 ता 7 की 4 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 224/27 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा कुल 40 बीघा भूमि जमा बन्दी में दर्ज कर दी गई परन्तु मुरब्बा नम्बर 224/18 के किला नम्बर 12, 13, 18, 19, 22, 23 एवं मुरब्बा नम्बर 224/19 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 13 ता 15, 18, 19 कुल तादादी 15 बीघा भूमि जो प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि थी, उक्त भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलांट उक्त भूमि पुराने कब्जे काश्त के अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अपीलांट वादगत् भूमि पर आवासीय ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। उक्त तमाम तथ्य अपीलांट के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज मौके पर कब्जे काश्त व चकबन्दी के अनुसार किया गया है। अपीलांट/रेस्पोडेन्ट अपने–अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है एवं अपनी पुराने कब्जे काश्त की भूमि पर बाड़ व तारबन्दी व आवासीय ढाणी बनाकर आबाद है। तमाम राजस्व रिकार्ड में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष भूमिधारण

तहसीलदार से जवाब प्राप्त किया गया। उक्त जवाब में तहसीलदार द्वारा अभिकथन किया गया है कि वादगत् भूमि की चकबन्दी सही रूप में की गई है तथा चकबन्दी का कार्य रिकार्ड व मौके के अनुसार ही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसके कब्जे काश्त की भूमि का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कर दिया गया है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों पर अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—07—2016 को पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 02—11—2018 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण प्रस्तुत किये गये है, वे संतोषजनक नहीं है जिसके आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हो। लिहाजा अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 123, आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 828 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—07—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 02—11—2018 को प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण रखते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना विधि सम्मत होगा। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु अभिलिखित कारण संतोषजनक होन के कारण विलम्ब को माफ करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जाती है

प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उसके कब्जे काश्त में बताई गई भूमि पर कब्जे के सबूत पेश नहीं करने तथा चकबन्दी में त्रूटि नहीं होने के तहसीलदार के कथनों के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रार्थी ने अपने वादपत्र तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि पूश्तैनी है जिसकी चकबन्दी करने पर मौके पर परम्परागत् कब्जे की स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। प्रार्थी ने विवादित भूमि के प्रत्येक किलें में से उसके कब्जे के किला नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी ताकि राजस्व रिकार्ड व कब्जे में भिन्नता की स्थिति में किसी एक पक्ष द्वारा वाद की सुनवाई के दौरान कब्जे की पूर्व की स्थिति में बलपूर्वक फेरबदल का प्रयास न हो।

परीक्षण न्यायालय ने सरसरी आधार पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रूटि की है। जबकि पक्षकारों की पुश्तैनी भूमि के मामलों में पारिवारिक बंटवारा, भूमि के उपयोग तथा सीमा चिन्हों के आधार पर वर्तमान कब्जे की स्थिति को वाद के निर्णय तक यथावत रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के परम्परागत् कब्जे काश्त व सीमा चिन्हों के सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र का नये सिरे से निर्णय करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर